बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0–4 / निदे0छात्र0(विविध)–233–05 / 2008– 1953

प्रेषक,

निदेशक ।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी ।

पटना–15, दिनांक 13/9/12

विषयः– राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रावैधिकी छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के संबंध में निदेश।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के छात्र–छात्राओं के लिये प्रावैधिकी छात्रवृत्ति योजना का संचालन कर रही है।

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक–5480 दिनांक–10 / 10 / 1998 के द्वारा दिशा निदेश दी गई थी।

2– समय–समय पर जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा इस योजना के संबंध में संस्था की मान्यता एवं पाठ्यक्रम की मान्यता के संबंध में दिशा निदेश की मागं की जाती रही है। साथही केन्द्र सरकार द्वारा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के संबंध में अध्यतन दिशा निदेश पत्रांक–19012 / 05 / 2010–Education दिनांक–21 / 6 / 2011 द्वारा दी गई है।

राज्य सरकार के पूर्व के दिशा निदेश एवं केन्द्र सरकार के दिशा निदेश के आलोक में अब यह आवश्यक है कि इस योजना के तहत् संस्था की मान्यता एवं पाठ्यक्रम की मान्यता के संबंध में दिशा निदेश निर्गत किया जाये।

3– केन्द्र सरकार के दिशा निदेश के आलोक में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत् केन्द्र सरकार के उपरोक्त पत्र की कंडिका–5 में उल्लिखित समुह–IV के आलोक में मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों के तहत् वैसे छात्र–छात्रा जो मैट्रिक उत्तीर्ण (कक्षा–X) हैं, एवं केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संस्थान में व्ययसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति एवं शुल्कों को भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

4– विभागीय पत्रांक–5480 दिनांक–10.10.98 में प्रावैद्यिकी छात्रवृत्ति के दिये गये मार्गदर्शन में यह उल्लेख किया गया था कि *"तकनिकी छात्रवृत्ति राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के अतिरिक्त सरकार से विधिवत् मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक मरम्मति संस्थान एवं रेडियो / दूरदर्शन सेट मरम्मति, स्टेनोग्राफी एवं टंकन संस्थान में प्रशिक्षण करने वाले छात्र / छात्राओं को भी प्रदान किया जायेगा।"*

परन्तु संस्थान की मान्यता एवं पाठ्क्रम की मान्यता के संबंध में स्पष्टता नहीं रहने के कारण जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा मार्गदर्शन की मांग की जाती है।

उपरोक्त दिशानिदेश को यथा संशोधित करते हुए निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित की जाती है :–

"वर्ग–10 के नीचे के वर्गों में अध्ययनरत् / योग्यता रखने वाले अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति के वैसे छात्र / छात्रा को तकनिकी / प्रावैधिकी छात्रवृत्ति देय होगी जो एन0सी0भी0टी0(NCVT) *से मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत् होंगें एवं जो पाठ्यक्रम एन0सी0भी0टी0* (NCVT) *द्वारा निर्धारित होगा।"*

5– सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त कंडिका–3 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रावैधिकी छात्रवृत्ति योजना के तहत् वैसे संस्था यथा –AICTE/NCVT/ विश्वविद्यालय से मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम एवं अनुमोदित संस्थान में मैट्रिक उत्तीर्ण (कक्षा–X) अध्ययनरत अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के छात्र–छात्रा को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत् निर्धारित दर पर भुगतान किया जायेगा एवं कंडिका–4 के आलोक में कक्षा– X के नीचे के वर्गों में अध्ययनरत्/योग्यता रखने वाले अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्रा को तकनिकी/प्रावैधिकी छात्रवृत्ति देय होगी जो एन0सी0भी0टी0 (NCVT) से मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत् होंगें एवं जो पाठ्यक्रम एन0सी0भी0टी0 (NCVT) द्वारा निर्धारित होगा।

विश्वासभाजन,

11.9.12
निदेशक।

ज्ञापांक–4/निदे0छात्र0(विविध)–233–05/2008– 1953 पटना, दिनांक– 13/9/12

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी उप निदेशक, कल्याण को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.9.12
निदेशक।

letter director-(new